स्टाम्प प्रथम निगरानी याचिका क्रमांक : ..../2019
प्रस्तुति दिनांक : ....

<u>माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.) कैम्प इन्दौर के समक्ष</u>

निगरानी-0633/2019/इंदौर/स्टांप अधि.

श्रीमती नीता पति श्री निकुंज जोशी
उम्र : 50 वर्ष, धंधा : गृहकार्य,
निवासी : 102, कृष्णा प्रिंसेस केस्टल,
127, जावरा कम्पाउण्ड, इन्दौर ..... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन तर्फे
कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला इन्दौर

2. राजीव पिता रामलाल चंडोक
उम्र : वयस्क, धंधा : व्यापार,
निवासी : 1/4, पटेल रोड़, वेस्ट पटेल नगर,
नई दिल्ली .... प्रत्यर्थीगण

<u>निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 56 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1908 तथा म.प्र. लिखितों का न्यून मूल्यांकन निवारण अधिनियम 1975 के तहत्</u>

उपरोक्त प्रकरण में निगरानीकर्ता की ओर से सविनय निवेदन है कि :-

(1) यह कि, निगरानीकर्ता ने 127, जावरा कम्पाउण्ड, इन्दौर स्थित कृष्णा प्रिन्सेस केस्टल प्लाट क्रं. 127 जावरा कम्पाउण्ड के प्रकोष्ठ क्रं. 102 जिसका सुपर बिल्टअप क्षेत्रफल 1251 वर्गफीट है को राजीव पिता रामलाल चंडोक, निवासी - 1/4, पटेल रोड़, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली से रू. 4,90,000/- में दिनांक 21/03/2001 को क्रय किया होकर रजिस्टर्ड, विक्रय पत्र क्रं. 41 घ दिनांक 12/04/2001 निष्पादित करवाया है जिस पर से माननीय कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प एवं जिला पंजीयक, इन्दौर (प्रत्यर्थी क्रं. 1) द्वारा प्रकरण क्रं. 238/47(क)(3)/03-04 में पारित आदेश दिनांक 30/12/2004 को विक्रय पत्र का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर करके आदेश निगरानीकर्ता के विरूद्ध पारित किया है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग. 0633/2019/इंदौर/स्टाम्प अधि.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-8-2019	आवेदिका की ओर से श्री डी.एन. जोशी, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण क्रमांक 238/47(क)(3)/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 30-12-2004 के विरूद्ध आवेदिका द्वारा आयुक्त, इंदौर संभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 0067/अपील/स्टाम्प पंजीबद्ध कर दिनांक 10-7-2018 को आदेश पारित कर प्रकरण में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से अग्राह्य की गई । तदोपरांत आवेदिका ने उप महानिरीक्षक पंजीयन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । उप महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/अपील/उ.म.नि.पं./2018 पंजीबद्ध कर दिनांक 30-8-2018 को आदेश पारित कर आवेदिका ने कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा आदेशित कमी मुद्रांक शुल्क की राशि का 25 प्रतिशत जमा नहीं किए जाने के कारण अपील अग्राह्य की गई । उप महानिरीक्षक पंजीयन के आदेश के अनुपालन में आवेदिका द्वारा वसूली योग्य राशि का 25 प्रशित राशि जमा किया जाकर आयुक्त, इंदौर संभाग के समक्ष पुन: अपील प्रस्तुत की गई, जिसे आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 0026/अपील/स्टाम्प/2018-19 में दिनांक 30-4-2019 को आदेश पारित कर प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से अपील अग्राह्य करते हुए आवेदिका को निर्देशित किया गया कि उप महानिरीक्षक पंजीयन के आदेश के विरूद्ध आवेदिका को भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 56 के अंतर्गत राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करना चाहिए था। तदनुसार आवेदिका द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के	

R-0633/2019/इन्दौर/स्टांप अपी०

संदर्भ में प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदिका द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा आदेशित कमी मुद्रांक शुल्क की राशि का 25 प्रतिशत जमा की जा चुकी है । अत: प्रकरण उप महानिरीक्षक पंजीयन को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह आवेदिका को सूचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुण-दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें ।

(इकबाल सिंह बैंस)
अध्यक्ष